न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 59/2023 प्रा.प.

उनवान

1. श्री शिवसिंह पिता अनोपसिंह राजपुत, उम्र 62 वर्ष, निवासी धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

—प्रार्थी

विरूद्ध

1. श्री नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत उम्र बालिग
3. श्री शक्तिसिंह पिता माधुसिंह राजपुत उम्र बालिग
4. श्री विक्रमसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
5. श्री शिवसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग

   सभी निवासीयान धोलागिरखेडा, तह. झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)
6. भूमिधारी तहसीलदार साहब/उपपंजीयक अधिकारी झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

—::निर्णय::—

दिनांकः— 25/09/24

उपस्थितिः— श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता — प्रार्थी
विपक्षीगण— एक पक्षीय

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम केनर पटवार हल्का धोलागिरखेडा तह. झल्लारा जिला सलुम्बर में प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री अनोपसिह पिता चतरसिंह राजपुत निवासी धोलागिरखेडा की कृषि भूमि स्थित थी जो जमाबन्दी संवत 2037—2040 के खाता सं. 3 में निम्नलिखित कृषि भूमि स्थित है जिसके आ.नं. 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आ.नं. 250 करब 12 बिस्वा, आ.नं. 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आ.नं. 252 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा के एकमात्र स्वामी एवं मालिक थे, जिस पर प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद वारिस प्रार्थी का कब्जा बेरोकटोक आज तक चला आ रहा है।

प्रार्थी के वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषी भूमी पर कब्जा आज तक चला आ रहा है। सेटलमेन्ट विभाग की गलती से बिना किसी उचित आदेश के प्रार्थी की भूमि में से आराजी नम्बर 247/2 का नया रकबा कायम नहीं किया तथा प्रार्थी की भूमि से दुर के आराजी नम्बर 256 मीन से आराजी संख्या 1003 बनाया जबकि मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 पुराने आराजी नम्बर 247/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा से बनता है, पुराने नक्शे से मौके की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि पुराने आराजी नम्बर 256 प्रार्थी की भूमि से काफी दुर है तथा मौके अनुसार आराजी नम्बर 1003 पुराने आराजी नम्बर 247/2 से ही बना है। सेटलमेन्ट अधिकारी ने जानबुझकर पुराने आराजी नम्बर 247/2 का नया आराजी नम्बर बनाया ही नहीं है तथा प्रार्थी के पुराने खाते के आराजी संख्या 251 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जिसका मिलान अनुसार आराजी नम्बर 1004 बनाया जिसका रकबा 0.02 हेक्टर बनाया जो कि गलत बनाया इस तरह सेटलमेन्ट अधिकारी ने मनमर्जी से बिना मौके का ध्यान रखते

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

हुए प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की गरज से तथा विपक्षीगण को लाभ पहुंचाने की गलत मंशा से बिना किसी वैधानिक आदेश के मौके अनुसार मिलान क्षेत्रफल नहीं बनाकर गलत तरीके से आराजी में तथा नक्शे में फेरफार किया गया, जो कि गलत है। प्रार्थी का आज भी मौके पर आराजी नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1006 पर कब्जा चला आ रहा है। नये खाते में आराजी नम्बर 1003 भी प्रार्थी के नाम होना चाहिये था तथा आराजी नम्बर 1002 का रकबा 0.02 हेक्टर नहीं होकर 0.25 हेक्टर होना चाहिये था, जिसे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल में दुरस्त कराने का अधिकारी है इसलिये घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद पेश किया है एवं यह अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

विपक्षी सं. 1 से 5 के नाम भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज हुई है। मौके पर आज भी प्रार्थी का कब्जा बदस्तुर बिना रोकटोक के चला आ रहा है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं. 123 में श्रीमती सज्जन कुवर का नाम भी खाते में दर्ज है लेकिन श्रीमती सज्जन कुंवर की मृत्यु हो चुकी है इसलिये उन्हें वाद पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्ध निम्न आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि में कभी भी प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे, न ही प्रार्थी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करे, न तो उक्त कृत्य स्वयं करे ना ही अपने नौकरो, परिजनों आदि से करावे और न ही उक्त भूमि दौराने वाद किसी अन्य को किसी भी रूप में हस्तान्तरण करे, करावे।

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। विपक्षी सं. 1 लगायत 6 को जवाब पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया न ही न्यायलय मे हाजिर आये। आदेशिका दिनांक 08–07–2024 को विपक्षीगण का जवाब बन्द किया गया। तद्पश्चात पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराया एवं विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन कि जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया गया। विवादित भूमि विपक्षीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के मामले में सम्बन्धित पक्षकार को अपने पक्ष मे प्रथम दृष्टया प्रकरण जो प्रथम दृष्टया टाईटल एवं अधिपत्य पर आधारित हो, प्रमाणित करना होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। प्रार्थी ने घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का वाद के साथ यह अस्थाई निषेधज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रकरण के मूलवाद मे समूचित साक्ष्य के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर पक्षकारो के हितो पर निर्णिय किया जावेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे उचित प्रतीत नही होता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दि. एवं धारा 212 आर.टी.ए. एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा का साबित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 25/09/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर